न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–520/2026
(CNR No.UPBH010012812026)

1. राम औतार उम्र 21 वर्ष पुत्र झल्लर
2. विनोद उम्र 22 वर्ष पुत्र कन्धई,
3. अशोक उम्र 30 वर्ष पुत्र रंगीलाल,
4. धनंजय उम्र 22 वर्ष पुत्र राम सेवक,
5. बाबू उम्र 45 वर्ष पुत्र छोटेलाल,

निवासीगण–पहिया, दाखिला–भिलौरा बाँसू, थाना–फखरपुर, जनपद–बहराइच।

----आवेदक/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य---

--------अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–66/2026,
धारा–115(2),191(1),191(2),351(3)
352,333,331(6) बी०एन०एस०,
थाना–फखरपुर, जनपद–बहराइच।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

26.03.2026

1– थाना–फखरपुर, जनपद–बहराइच के मुकदमा अपराध संख्या–66/2026, अन्तर्गत धारा–115(2), 191(1), 191(2), 351(3), 352, 333, 331(6) बी०एन०एस० के प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध अभियुक्तगण राम औतार, विनोद, अशोक, धनंजय व बाबू की तरफ से यह जमानत प्रार्थना–पत्र शपथी राम सवारे के शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय अपर सिविल जज(प्रवर खण्ड)(नवसृजित)/ए०सी०जे०एम०, बहराइच द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक–05.03.2026 को निरस्त किया गया है।

3– आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से यह कथन किया गया है कि यह जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय में प्रथम है तथा उनकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी भी न्यायालय पर विचाराधीन नहीं है।

4– जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच व वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं केस डायरी का सम्यक् अवलोकन किया।

5– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनाँक–24.02.2026 को वादी नरेन्द्र कुमार द्वारा विपक्षीगण सेवक, नन्दू, कौशल व धनन्जय आदि के विरुद्ध थाना–फखरपुर पर मुकदमा अपराध संख्या–60/2026 लिखवाया था, जिसमें विपक्षीगण लगातार उस पर सुलह करने का दबाव बना रहे थे। उसके मना करने पर दिनाँक–02.03.2026 की रात्रि करीब 09:30 बजे विपक्षीगण धनन्जय चमार, नंदू, बाबू, बबलू तथा रामऔतार, विनोद, अशोक, झल्लर व इनके साथ चार–पांच अन्य अज्ञात व्यक्ति एक राय होकर लाठी, डण्डा, लोहे की राड आदि से लैस होकर जान से मार डालने की नीयत से प्रचछन्न रूप से अचानक उसके घर को घेर लिये तथा गाली–गलौज देते हुए व जान से मार डालने की धमकी देते हुए उसके घर में घुस आये। वह अपनी जान बचाकर अपने घर में भाग और घर का दरवाजा बन्द करके पुलिस को सूचना दिया, उतनी ही देर में ये सभी लोग मिलकर उसके घर का चैनल व दरवाजा तोड़कर घुस आये और उसे मारने लगे घर में मौजूद उसकी पत्नी द्वारा बीच–बचाव कराया गया, तो ये लोग उसे भी मारे–पीटे आस पास के लोगों द्वारा बीच–बचाव कराने का प्रयास किया गया, बावजूद इसके नहीं माने। पुलिस के आने पर ये सभी लोग भागने लगे, किन्तु मौके पर पुलिस व आस–पास के लोगों ने धनंजय, रामऔतार, विनोद तथा अशोक को

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.03.26 15:23:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पकड़ लिया। मार–पीट में उसे व उसकी पत्नी को काफी चोटें आईं हैं।

6– वादी की उक्त तहरीर के आधार पर दिनाँक–03.03.2026 को समय 04:30 बजे आवेदक/अभियुक्तगण, बबलू, नन्दू, झल्लर व 4–5 अन्य अज्ञात के विरूद्ध थाना–फखरपुर में अपराध संख्या–66/2026, धारा–191(1), 191(2), 115(2), 351(3), 352, 331(6), 333 बी०एन०एस० में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना प्रचलित है।

7– आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुये कहा कि वादी बहुत ही चालाक व मुकदमेबाज किस्म का व्यक्ति है। सह–अभियुक्त झल्लर ने अपनी लड़की की शादी आवेदक/अभियुक्त धनंजय के साथ तय करके मंगनी कर दिया था, जिसका वादी ने विरोध कर दिया था। वादी चाहता था कि झल्लर की लड़की की शादी उसके परिवार में हो, झल्लर ने वादी की बात नहीं मानी, तो इससे वादी नाराज हो गया और बदले की भावना से थाना–फखरपुर में सह–अभियुक्त झल्लर आदि के विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा संख्या–60/2026 लिखवा दिया, जिसकी जानकारी होने पर अभियुक्तगण ने वादी से सम्पर्क किया। होली के एक दिन पहले वादी के कहने पर अभियुक्तगण राम औतार, विनोद, अशोक, धनंजय तथा बाबू पंचायत व सुलह–समझौता हेतु वादी के घर गए, वादी ने सभी लोगों को अपने घर पर बिठाकर खाना–पानी दिया, इसके बाद बगैर कोई कहा–सुनी के अपने घर का ताला बाहर से बन्द करके थाना–फखरपुर की पुलिस को बुलाकर उपरोक्त अभियुक्तगण को जेल में बन्द करवा दिया। आवेदक/अभियुक्तण ने वादी के घर का कोई भी चैनल दरवाजा नहीं तोड़ा है और न ही वादी को व उसकी पत्नी को किसी भी प्रकार की मार–पीट व गाली–गलौज किया है। तथाकथित घटना बनावटी है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गई है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। वादी व गवाहान के बयानों में काफी विरोधाभाष है। मेडिकल रिपोर्ट में चोटें साधारण प्रकृति की पायी गई हैं। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/ अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे दिनांक–03.03.2026 से जिला कारागार बहराइच में निरूद्ध हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

8– राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच व वादी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए संयुक्त रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वादी नरेन्द्र कुमार द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध लिखाये गये मुकदमा अपराध संख्या–60/ 2026 में सुलह करने से मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा लाठी, डण्डा, लोहे की राड आदि से लैस होकर वादी के घर में रात्रि में घुसकर गाली–गुप्ता व जान से मार डालने की धमकी देते हुए वादी व उसकी पत्नी पूनम को मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई। आवेदक/अभियुक्तगण धनंजय, रामऔतार, विनोद तथा अशोक को मौके पर पकड़ा गया है। वादी, चोटहिल व अन्य गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। आवेदक/ अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। मामले की विवेचना प्रचलित है एवं साक्ष्य संकलन शेष है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा जमानत पर रिहा होने के पश्चात गवाहों को डराने, धमकाने एवं जमानत के शर्तों का उल्लंघन किये जाने की संभावना है।कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

9– केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट है कि आवेदक/ अभियुक्तगण के विरूद्ध यह अभियोग है कि उन्होंने व सह–अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरूद्ध जमाव कायम करके वादी द्वारा उनके विरूद्ध लिखाये गये मुकदमे में सुलह करने से मना करने पर वादी के घर में रात्रि के समय घुसकर गाली–गुप्ता देते हुए वादी व उसकी पत्नी को मार–पीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी दी। चिकित्सकीय परीक्षण आख्यानुसार चोटहिल नरेन्द्र कुमार के शरीर पर 4 चोटें तथा चोटहिल पूनम भास्कर के शरीर पर 2 चोटें साधारण प्रकृति की पायी गई हैं। सभी अभियुक्तगण की समान भूमिका दर्शायी गई है। किसी अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नहीं की गई है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण राम औतार, विनोद, अशोक व बाबू के विरूद्ध प्रस्तुत वाद व आवेदक/ अभियुक्त धनन्जय के विरूद्ध प्रस्तुत वाद के अतिरिक्त एक अन्य आपराधिक वाद पंजीकृत होने

सम्बन्धी पुलिस आख्या प्रस्तुत की गई है, किन्तु उक्त वाद में आवेदक/अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक–03.03.2026 से जिला कारागार बहराइच में निरूद्ध हैं।

10– अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण राम औतार, विनोद, अशोक, धनंजय व बाबू की तरफ से उपरोक्त अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक को 50,000/–रूपये(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले की विवेचना प्रचलित है। अतः वे मामले की विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा यदि उनके विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया जाता है तो वे मामले की प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे।

2– अभियुक्तगण, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा–351 बी०एन० एस०एस० अंकित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

3– साक्षीगण के उपस्थित आने पर अभियुक्तगण कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

4– अभियुक्तगण, साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।

5– अभियुक्तगण, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

6– अभियुक्तगण उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनाँकः 26.03.2026 I.D.UP–2017